



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



11 फाल्गुन, 1945 (श०)

संख्या - 112 राँची, शुक्रवार,

1 मार्च, 2024 (ई०)

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

29 फरवरी, 2024/10 फाल्गुन, 1945 (शक)

संख्या-429/पूर्वअनु.-1/झार./2023(अपील)--निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 23 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, दिनांक 24 अगस्त 2023 की अपनी अधिसूचना संख्या 429/पूर्व अनु.-1/झार./2023(अपील) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्;

उक्त अधिसूचना के संलग्न सारणी के स्तम्भ 3 मद में, क्रम संख्या 14-पूर्वी सिंहभूम के सामने, विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी:-

सारणी

क्रम सं०	जिलों का नाम	अपीलीय प्राधिकारी	अधिकार क्षेत्र
1	2	3	4
14	पूर्वी सिंहभूम	जिला निर्वाचन पदाधिकारी- सह-उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम	44-बहरागोड़ा 45-घाटशिला (अ०ज०जा०) 46-पोटका (अ०ज०जा०) 47-जुगसलाई (अ०जा०) 48-जमशेदपुर पूर्व 49-जमशेदपुर पश्चिम

आदेश से,

सुजीत कुमार मिश्र,

सचिव

भारत निर्वाचन आयोग ।

उपरोक्त अधिसूचना का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

के० रविकुमार,

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव ।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

29th February, 2024/10 Phalguna, 1945 (Saka)

No. 429/E.S.-1/JKD/2023 (Appeal)--In exercise of powers conferred by sub-rule(1) of rule 23 of the Registration of Electors Rules, 1960, the Election commission of India, makes following amendment in its notification No. 429/E.S.-1/JKD/2023 (Appeal) dated 24th August, 2023.

In column 3 of the Table appended to the said Notification, against Sl. No. 14-East Singhbhum, the following entries shall be substituted:-

Table

Sl. No.	Name of Districts	Appellate Officer	Area of Jurisdiction
1	2	3	4
14	East Singhbhum	District Election Officer-cum-Deputy Commissioner, East Singhbhum	44-Baharagora 45-Ghatsila (ST) 46-Potka (ST) 47-Jugsalai (SC) 48-Jamshedpur East 49-Jamshedpur West

By Order,

SUJEET KUMAR MISHRA,
SECRETARY
ELECTION COMMISSION OF INDIA.